भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 614

उत्तर देने की तारीख : 06.02.2024

अनुसूचित जाति आरक्षण का उप-वर्गीकरण

614. श्री नामा नागेश्वर राव:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के मद्देनजर अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के सर्वाधिक वंचित समूहों के साथ न्याय करने के लिए अनुसूचित जाति आरक्षण में उप-वर्गीकरण लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (एससी) के भीतर उप-वर्गीकरण में संवैधानिक मामलों के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क) से (ग): अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण का मामला वर्तमान समय में वर्ष 2011 की सिविल अपील संख्या 2317 में उच्चतम न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष निर्णयाधीन है।

******